



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority

सं. 27, पोर्ट ब्लेयर, शुक्रवार, 15 जनवरी, 2010
No. 27, Port Blair, Friday, January 15, 2010

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 15 जनवरी, 2010

सं. 23/2010/फा. सं. 3-38/2008-09/टी.एस./डी.एफ.— अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण विनियम, 2003 (2003 की सं. 1) की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप राज्यपाल (प्रशासक) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा दिनांक 1.6.2004 की अधिसूचना संख्या 103/2004/फा.सं. 5-1 (276)/2002 विकास-1 के अनुसार अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण विनियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं और निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(क) इन नियमों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण (संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जा सकेगा।

(ख) ये इसके अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. संशोधन :

(1) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, मैरीन मत्स्यहरण नियमावली, 2004 की धारा 16 (क) के तहत अनुसूची VI के खण्ड (च) में निम्नलिखित इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा :- 'समुद्री शिल्प की कोई भी प्रजातियाँ कच्चे रूप में जो वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में शामिल नहीं हैं, के लिए रॉयल्टी रु. 50/- प्रति किलोग्राम होगा।'

ह./-

(लेफ्टिनेंट जनरल (सेवा-निवृत्त) भूपेन्द्र सिंह)
उप राज्यपाल (प्रशासक)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./-

(वी. कृष्णामूर्ति)
अपर सचिव (मत्स्य)

ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
SECRETARIAT
NOTIFICATION

Port Blair, dated the 15th January, 2010

No. 23/2010/F.No.3-38/2008-09/TS/DF.— In exercise of the powers conferred under Section 24 of the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulation, 2003 (No. 1 of 2003), the Lieutenant Governor (Administrator), Andaman and Nicobar Islands hereby makes the following amendment to the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Rules, 2004 as published in the Andaman and Nicobar Gazette vide Notification No. 103/2004/F.No.5-1(276)/2002-Dev. I dated 01/06/2004 and notifies as follows:

1. Short Title and Commencement :

- (a) These Rules may be called the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing (Amendment) Rules, 2010.
- (b) It shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette of Andaman and Nicobar Administration.

2. Amendment :

- (1) Clause (f) of Schedule – VI under Section 16 (a) of the Andaman & Nicobar Islands Fishing Rules, 2004, the following shall be substituted as under

“Any species of sea shells not covered under Wild Life (Protection) Act, 1972 in raw form shall pay the royalty of Rs. 50/- per kg.”

Sd/-

(Lt. Genl. (Retd.) Bhopinder Singh)
Lieutenant Governor (Administrator)
Andaman and Nicobar Islands

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd/

(V. Krishnamurthy)
Additional Secretary (Fisheries)